संख्या: 12/2021/बी-1- 672 /दस-2021-16/94

प्रेषक,

संजय कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 11 अक्टूबर, 2021

विषय: बजट एलाटमेन्ट सिस्टम से जारी की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों के आलेख पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किये जाने विषयक।

महोदय,

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2735/दस-2011-16/94, दिनाँक 07 सितम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनाँक 26 फरवरी, 2013 द्वारा सेन्टर सर्वर के माध्यम से बजट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में तथा शासनादेश संख्या-2/2021/बी-1-347/दस-2021-16/94, दिनाँक 10 मार्च, 2021 के माध्यम से प्रशासकीय विभागों द्वारा दिनाँक 01 अप्रैल, 2021 से समस्त वित्तीय स्वीकृतियाँ बजट एलाटमेन्ट सिस्टम के माध्यम से निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसी वित्तीय स्वीकृतियाँ, जिन्हें वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जाना है, उन वित्तीय स्वीकृतियों के आलेख पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करने के लिये प्रशासकीय विभागों द्वारा बजट एलाटमेन्ट सिस्टम http://budgetallot.up.nic.in के माध्यम से निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी:-

(1) यदि वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग की सहति से निर्गत किये जाने की आवश्यकता है, तो प्रशासकीय विभाग budgetallot.up.nic.in के लॉग-इन पेज पर "Concurrence of finance department required" में "Yes" पर क्लिक करते हुए sanction entry को भरेंगे।

(2) उक्तानुसार sanction entry भरने के बाद "send concurrence sanction for approval" पर क्लिक करेंगे, जिससे सम्बन्धित पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित हो जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(3) प्रशासकीय विभाग द्वारा सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति की स्टेटस रिपोर्ट budgetallot.up.nic.in के होम पेज के concurrence sanction list द्वारा देखी जा सकती है।

(4) वित्त विभाग से प्रस्तावित धनराशि या उससे कम धनराशि की स्वीकृति प्राप्त होने पर सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृति "concurrence by finance department" लिंक का प्रयोग करते हुये "Issue Sanction Option" द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भेजी जा सकेगी।

(5) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रेषित वित्तीय स्वीकृति के आलेख पर वित्त विभाग द्वारा सहमति न दिये जाने पर Sanction Entry स्वतः delete हो जायेगी।

उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

संजय कुमार
सचिव।

संख्या: 12/2021/बी-1- 672 (1)/दस-2021-16/94, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- वित्त विभाग के समस्त विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

3- वित्त विभाग के समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in